लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2566

05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएलआई योजना के लिए धन का आवंटन

2566. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इससे देश में लघु एवं मध्यम परिधान निर्माताओं को किस प्रकार लाभ हुआ है;

(ख) वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत आवंटित और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत वास्तव में सहायता प्राप्त करने वाली एमएसएमई इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा परिधान निर्माताओं को पर्यावरण-अनुकूल कपड़े, जल-बचत रंगाई पद्धति और वस्त्र पुनर्चक्रण जैसी स्थायी पद्धतियों को अपनाने में सहायता प्रदान करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(घ) आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक बदलाव को ध्यान में रखते हुए, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों द्वारा खाली किए गए बाजार हिस्से पर भारतीय परिधान निर्माताओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र और परिधान निर्यात के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं और इस वृद्धि का श्रेय किस हद तक लघु एवं मध्यम आकार के निर्यातकों को दिया जा सकता है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन वर्ष 2020 में 1,480 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था, जिसका मुख्य फोकस अनुसंधान, नवाचार एवं विकास; संवर्धन एवं बाज़ार विकास; निर्यात संवर्धन; और शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर था। एनटीटीएम के तहत, तकनीकी वस्त्रों पर 168 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, 20 स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोगशालाओं, उपकरणों के उन्नयन तथा फैकल्टी के प्रशिक्षण हेतु 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(ख): देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को 10,683 करोड़ रुपये के परिव्यय से सितंबर, 2021 में मंजूरी दी गई थी, ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के दो भाग हैं: भाग-1 में प्रति कंपनी न्यूनतम 300 करोड़ रुपये का निवेश और 600 करोड़ रुपये का न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है; और भाग-2 में प्रति कंपनी न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का निवेश और 200 करोड़ रुपये का न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है। योजना के अनुसार, कंपनियों को न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार और उसके बाद वृद्धिशील कारोबार हासिल करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दो आवेदक कंपनियों को 54.50 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन संवितरित किया गया है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना न्यूनतम निवेश और कारोबार पूरा कर लिया है।

(ग): एनटीटीएम के अंतर्गत, सस्टेनेबल और रीसाइकलेबल वस्त्र सामग्री के विकास हेतु अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वस्त्र क्षेत्र को सस्टेनेबल, रिसोर्स एफिसिएंट और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रणाली प्रदान करने के लिए स्टेकहोडल्रों को शामिल करने हेतु पहल की जा रही है।

(घ) और (ङ): भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/पहलों जैसे राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) योजना में छूट के माध्यम से वस्त्र और गारमेंट निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जो अपैरल, गारमेंट और मेड-अप के लिए शून्य-रेटेड निर्यात को बढ़ावा देती है, जबकि अन्य वस्त्र उत्पाद निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के अंतर्गत आते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में भाग लेने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को भी सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला और नवाचार को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से, एक वैश्विक मेगा टेक्सटाइल इवेंट, भारत टेक्स को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत ने व्यापार बाधाओं को कम करके और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वैश्विक बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र एवं अपैरल के निर्यात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार डाटा अनुबंध में संलग्न है।

अनुबंध

पिछले 3 वर्षों के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र एवं अपैरल का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्यात

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष: 2022-23	वित्तीय वर्ष: 2023-24	वित्तीय वर्ष: 2024-25
अंडमान और निकोबार	0	0	0
आंध्र प्रदेश	438.2	481.2	520.7
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	4	2.3	2.1
बिहार	27.6	32.3	44.4
चंडीगढ़	29.7	16.1	8.8
छत्तीसगढ़	2.9	4	5.6
दादरा, एनएच, दमन, दीव	770	695.3	739.8
दिल्ली	1,189.9	1,032	1,082.3
गोवा	5.2	2.4	3.4
गुजरात	5,043.4	5,749.1	5,928.7
हरियाणा	3,720	3,641.9	4,112
हिमाचल प्रदेश	259.2	237.2	231.3
जम्मू और कश्मीर	101.1	88.7	92
झारखंड	14.9	25.2	35.7
कर्नाटक	2,910.3	2,738.4	2,831.2
केरल	351.4	371.8	434.7
लद्दाख	0	0	0.1
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	1,346.5	1,390.2	1,388.3
महाराष्ट्र	3,999.5	4,227.3	3,971.3
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0.1
मिजोरम	0	0	0
नागालैंड	0.2	0.1	0.1
ओडिशा	66	85.5	89
पुदुचेरी	15.6	13	12.8
पंजाब	1,502.2	1,500.4	1,397.2
राजस्थान	1,582.1	1,624.3	1,720
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	8,008.9	7,172	8,021.7
तेलंगाना	135.6	166.8	148.8
त्रिपुरा	0	0	0
अनिर्दिष्ट	222.1	9.5	0.7
उत्तर प्रदेश	3,686.6	3,438.2	3,753.5
उत्तराखंड	45.6	41.6	41.3
पश्चिम बंगाल	1,207.4	1,087.1	1,136.1
कुल योग	**36,686.1**	**35,873.9**	**37,753.7**

****